

निदेशक (मुख्य अभियन्ता) का कार्यालय
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना।

पुनर्निलामी आमंत्रण सूचना सं०-वाल्मी/सम्पोषण/109/2024-01/वाल्मी, पटना, दिनांक-09/01/26

पुनर्निलामी आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय पत्र सं०-21/विभागीय भवन/17-01-2024-46 दिनांक-31.01.2024 के आलोक में निदेशक (मुख्य अभियन्ता), वाल्मी, पटना के आदेशानुसार वाल्मी परीसर, पटना अन्तर्गत ध्वस्त करने योग्य स्थायी आवासों/भवनों को इच्छुक आवेदक/फर्म द्वारा ध्वस्त करते हुए अवशेषों की नीलामी किया जाना है।

इन अवशेषों का मुल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर सार्वजनिक नीलामी "जैसा है उसी रूप में" के आधार पर दिनांक-03.02.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निदेशक (मुख्य अभियन्ता) का कार्यालय, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के कार्यालय में की जाएगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	आवास/भवन का प्रकार	नीलामी हेतु संशोधित न्यूनतम मूल्य	सुरक्षित जमा राशि (नीलामी के संशोधित न्यूनतम मूल्य का 20% राशि रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय भवन F-5 (G+3)	3,66,750.00	73,350.00	30 दिन	

निलामी की शर्तें:-

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में सहायक अभियन्ता-2, संपोषण, वाल्मी, पटना से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
- विशेष जानकारी हेतु www.wrd.bih.nic.in एवं www.prd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

Handwritten signature
भू-सम्पदा पदाधिकारी,
वाल्मी, पटना।
09/01/26

निदेशक (मुख्य अभियन्ता) का कार्यालय
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना।

पुनर्निलामी आमंत्रण सूचना सं०- वाल्मी/सम्पोषण/109/2024-.....०१/वाल्मी, पटना, दिनांक-.....०९/०१/२०२६

पुनर्निलामी आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय पत्र सं०-21/विभागीय भवन/17-01-2024-46 दिनांक-31.01.2024 के आलोक में निदेशक (मुख्य अभियन्ता), वाल्मी, पटना के आदेशानुसार वाल्मी परीसर, पटना अन्तर्गत ध्वस्त करने योग्य स्थायी आवासों/भवनों को इच्छुक आवेदक/फर्म द्वारा ध्वस्त करते हुए अवशेषों की नीलामी किया जाना है।

इन अवशेषों का मुल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर सार्वजनिक नीलामी "जैसा है उसी रूप में" के आधार पर दिनांक-03.02.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निदेशक (मुख्य अभियन्ता) का कार्यालय, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के कार्यालय में की जाएगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	आवास/भवन का प्रकार	नीलामी हेतु संशोधित न्यूनतम मूल्य	सुरक्षित जमा राशि (नीलामी के संशोधित न्यूनतम मूल्य का 20% राशि रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय भवन F-5 (G+3)	3,66,750.00	73,350.00	30 दिन	

नीलामी की शर्तें:-

1. इच्छुक फर्म/आवेदक कार्यालय अवधि में सूची में शामिल अनुपयोगी एवं ध्वस्त करने योग्य भवन का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं।
2. ध्वस्त करने योग्य भवन का जहाँ है, जो भी है, जैसा भी है, के आधार पर नीलामी सम्पन्न होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक/फर्म को बोली सुरक्षित जमा राशि के साथ-साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति, GST अद्यतन प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निम्न आशय का शपथ-पत्र जमा करना होगा, जो इस प्रकार है:-

"I the undersigned do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infiction upon the FIR and Lawful punishment."

4. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। इस हेतु जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
5. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 28.01.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक अपने आवेदन के साथ कॉलम-04 में अंकित सुरक्षित जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो WALMI, Patna के नाम से देय हो तथा पटना में भुगतये हो, को जमा करना होगा, उसके बाद ही उन्हें दिनांक 03.02.2026 को नीलामी में भाग लेने दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी स्थिति में आवेदन एवं सुरक्षित जमा राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
7. नीलामी प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/कर्मि भाग नहीं लेंगे।
8. विमुक्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर सामग्री का संबंधित स्थल से उठाव कराना सुनिश्चित करना होगा। विलम्ब की स्थिति में प्रति दिन के हिसाब से कॉलम-03 में अंकित राशि का 02 (दो) प्रतिशत दंड किराया देना होगा।
9. नीलामी में बोलीदाता को नीलामी की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 07 (सात) कार्यकारी दिवसों के अन्दर WALMI, Patna के नाम से देय हो तथा पटना में भुगतान हो, जमा करना होगा। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर नीलामी की राशि जमा नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
10. प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में नीलामी की शेष राशि जमा नहीं करने पर उनका सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आमंत्रित किया जाएगा। यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की शेष राशि जमा नहीं किया जाता है तो उनका भी सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए तृतीय स्थान पर रहे बोलीदाता को आमंत्रित किया जाएगा। यदि तृतीय बोलीदाता द्वारा भी नीलामी की शेष राशि जमा करने से इंकार किया जाता है तो उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि भी जब्त कर लिया जाएगा।
11. उच्चतम डाक बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली का 18 प्रतिशत GST (9% CGST + 9% SGST) अतिरिक्त देय होगा।
12. नीलामी में सफल बोलीदाता को नियमानुकूल सभी देय करों का भी भुगतान करना होगा।
13. सफल बोलीदाता को अपने व्यय पर सामग्री का उठाव एवं परिसर का साफ सफाई करना होगा।
14. असफल बोलीदाता को नीलामी के 03 कार्यकारी दिनों के बाद सुरक्षित जमा राशि वापस किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बोलीदाता के सुरक्षित जमा राशि की वापसी उच्चतम बोलीदाता को विमुक्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् किया जायेगा।
15. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को दिनांक 28.01.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक विहित प्रपत्र **Annexure-A** में सभी अनुलग्नक सहित विवरण भरकर वाल्मी, पटना के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
16. निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना को बिना कारण बताये नीलामी रोकने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में सहायक अभियन्ता-2, संपोषण, वाल्मी, पटना से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
18. विशेष जानकारी हेतु www.wrd.bih.nic.in एवं www.prd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

Handwritten signature
भू-सम्पदा पदाधिकारी,
वाल्मी, पटना।
09/1/26

सेवा में,

भूसम्पदा-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
वाल्मी, पटना।

विषय:- दिनांक 03.02.2026 को वाल्मी, पटना द्वारा आमंत्रित ध्वस्त करने योग्य आवासीय भवन के नीलामी में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:- नीलामी आमंत्रण सूचना सं०-..... दिनांक/

महाशय,

मैं, पता-.....

....., विषयांकित नीलामी में निम्न विवरणानुसार ध्वस्त करने योग्य स्थायी आवास/भवन की बोली में भाग लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

क्रमांक	आवास/भवन का प्रकार	निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि का विवरण		अभियुक्ति
		बैंक ड्राफ्ट का विवरण	राशि	
	F-5 (G+3)			

अनु०:- 1. बैंक ड्राफ्ट का विवरण.....

विश्वासभाजन

2. पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

3. आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

नाम-

4. चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

पता-

5. GST प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

मो०-

6. वाँछित शपथ-पत्र मूल में।

ई-मेल-

7. दो पासपोर्ट साईज फोटो।